FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0288 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 10/11/2025 14:56 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 12/06/2025 Date To (दिनांक तक): 16/06/2025

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 12:30 बजे Time To (समय तक): 17:30 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 10/11/2025 Time (समय): 13:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002 Date & Time (दिनांक एवं समय) 10/11/2025 14:56:13 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 275 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABL

(b)Address(पता): GRAM PANCHAYAT DIGOD

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAMLAXMAN RATHORE

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAMSWROOP RATHORE

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1981 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BUS STEND, THASIL KA RASTA, DIGOD, DIGOD, KOTA RURAL, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BUS STEND, THASIL KA RASTA, DIGOD, DIGOD, KOTA RURAL, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	KAPIL MEENA		पिता:RAMAVTAR MEENA	1. DIGOD,DIGOD,KOTA RURAL,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		25,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 25,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

हालात इस प्रकार है कि दिनांक 12.06.2025 समय 12.30 पी.एम. पर भ्र.नि.ब्यूरो चौकी कोटा पर परिवादी रामलक्ष्मण राठौर पुत्र श्री रामस्वरूप जाति राठोर उम्र 44 साल निवासी- गा्रम दीगोद पोस्ट दीगोद, तहसील दीगोद जिला कोटा उपस्थित हुआ तथा मन देशराज, पुलिस निरीक्षक को एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि ग्राम पंचायत दीगोद से मैने पेटी कॉन्टेक्ट लेकर बालाजी की बगीची पर जानवरों के पानी पीने के खेल/ टेंक/टंकी एवं रामलाल मेघवाल के पास देवपुरा रोड पर पुलिया निर्माण कार्य करने का काम लिया था जिसको मैने समय पर पूर्ण कर लिया था प्रथम बिल लगाया जिसका उन्होने मुझे 150000 रू. का बिल पास किया तथा शेष बिल पास करने की एवज में कपिल मीणा सरपंच दीगोद मुझसे कमिशन के रूप में रिश्वत की मांग कर रहे हैं। उक्त शिकायत के संबंध में मन देशराज पुलिस निरीक्षक ने जर्ये टेलीफोन श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा को अवगत कराया तो उन्हाने नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्रदान किये। मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र इस आशय का था कि- "मैंने जरिये फर्म सतीश एन्टरप्राईजेज से ग्राम पंचायत दीगोद में बालाजी की बगीची पर जानवरों के पानी पीने के लिए खेल एवं रामलाल मेघवाल के पास देवपुरा रोड पर पुलिया निर्माण कार्य करवाने के लिए मेरे परिचित श्री रामस्वरूप महावर निवासी दीगोद की फर्म सतीश एन्टर प्राईजेज दीगोद के नाम टेण्डर आदेश लिया था। श्री रामस्वरूप महावर एवं मैंने उक्त कार्या को मिल कर करने के लिए एक शपथ पत्र सहमती पत्र लिख लिया था। मेरे द्वारा पंचायत द्वारा दी गई समयावधि में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया तथा ग्राम पंचायत दीगोद में उपरोक्त कार्यो के बिल पेश किये जिसमें सें पानी की खेल का पेमेंट 196000 रू. पास कर दिया तथा पुलिया निर्माण कार्य के बिल में सें मुझे 150000 रू. का बिल पास किया तथा अन्य बिल के पैसे सरंपच व सेक्रेट्री ने यह कहकर रोक लिये कि पहले हमारा कमिशन 50,000 रू. हमको दो उसके बाद ही तुम्हारा बाकी बचा हुआ बिल पास करेंगे। उक्त बिल को पास कराने के लिये मैं स्वयं कई बार गा्रम पचायत जा चुका हूँ परन्तु मेरे बिल पास नहीं किये जा रहे है। मैं मेरे वैध किये गये कार्यों के बदले में सरपंच कपिल मीणा व सैकेट्री वेदप्रकाश राठौर को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ बल्कि रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूँ। सरपंच कपिल मीणा व सैकेट्री वेदप्रकाश राठौर से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है तथा उनसे मेरा उधार, के रूपयों का भी कोई लेन देन बकाया नहीं है। अतः रिपोर्ट कार्यवाही हेतु पेश है। परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वंय का हस्तिलिखित बताया। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व मजीद दरयाप्त पर बताया कि ग्राम पंचायत में मुझे ठेका सीधा नहीं मिल पाया था । इसलिए श्री रामस्वरूप महावर की फर्म सतीश एन्टरप्राईज के नाम निर्माण कार्य का जो ठेका हुआ था उसे मैने पेटी कॉन्टेक्ट में लेकर रामस्वरूप महावर के साथ शपथ पत्र सहमती पत्र लिख कर ग्राम पंचायत दीगोद का कार्य किया है । परिवादी ने एक 50 रूपये के स्टाम्प पर लिखा हुआ शपथ पत्र जो श्री रामस्वरूप महावर द्वारा हस्ताक्षरित है पेश किया । उक्त मामला रिश्वत मांग का होने एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की परिधी में आना पाया जाने से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्य़क होने सें कार्यालय में कार्यरत श्री नरेन्द्र सिंह, हैड कानि नं. 140 को मन पुलिस निरीक्षक ने अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी से आपसी परिचय करवाया तथा कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के निकलवाया गया तथा परिवादी रामलक्ष्मण को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु व बंद करने व रिकॉर्ड करने की विधि समझाई। तत्पश्चात, परिवादी ने बताया कि आज मुझे आवश्यक कार्य हैं तथा मुझे पानी की टंकी रखवानी हैं इसके बाद मैं सरपंच कपिल मीणा एवं ग्राम सचिव वेदप्रकाश सें बात करूंगा। मैं जब फोन करूं तब नरेन्द्र जी को भेज देना। तत्पश्चात श्री नरेन्द्र सिंह हैड. कानि. के मोबाईल नम्बर परिवादी को दिये गये तथा परिवादी से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को प्राप्त कर वापस रखवाया गया तथा परिवादी को गोपनीयता की हिदायत कर दीगोद के लिए रवाना किया गया। दिनांक 16.06.2025 समय 11.35 ए.एम.समय पर मन पुलिस निरीक्षक को श्री नरेन्द्र सिंह हैड. कानि. 140 ने बताया कि सर मेरे मोबाईल पर रामलक्ष्मण जी का फोन आया हैं तथा उन्होने रिकॉर्डर लेकर मुझे दीगोद मिलने के लिए कहा हैं। इस पर श्री नरेन्द्र सिंह कानि. को मालखाने सें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के निकालकर सुपुर्द किया तथा पृथक सें फर्द सुपुर्दगी बनाकर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जिसे शामिल फाईल किया गया, तत्पश्चात श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. 140 मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी से जाकर दीगोद में मिलने एंव बाद सत्यापन स्थिति से अवगत कराने की हिदायत कर उसके स्वंय के वाहन से रवाना किया। समय 5.30 पी.एम. पर

मन पुलिस निरीक्षक को श्री नरेन्द्र सिंह हैड. कानि. ने वापस आकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्ड मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर बताया कि मैं यंहा सें स्वंय के वाहन से रवाना होकर दीगोद पहुंच गया था वंहा पर मै रामलक्ष्मण जी सें मोबाईल पर वार्ता कर मिला तथा उनको डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के रिकॉर्डर को चालु कर सुपुर्द किया तथा ग्राम पंचायत दीगोद में सरपंच व सेक्रेट्री सें वार्ता कर वार्ता को रिकॉर्ड कर लाने के लिए रवाना किया तथा मैं भी रामलक्ष्मण जी के पीछे-पीछे ग्राम पंचायत के सामने मेनरोड पर पहुंचा तथा अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी का इन्तजार करने लगा समय 2 पी.एम. के करीबन परिवादी मेरे पास आया तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसको मैने बन्द किया तथा परिवादी सें पूछा तो बताया कि मेरी सरपंच सें मेरे बिलों के संबंध में बात हो गई हैं उससे मैने पूछा तो सरपंच ने कहा कि पच्चीस तो वो पहले के बिल के बचे हुये हैं तब मैने कहा कि अभी के पहले के बिल के कुल पचपन हो रहें इस पर उसने कहा कि अभी सेक्रेटी से पूछ लेंगे वो बता देगा इसके बाद हमारी मेरे काम, बिल व पंचायत के कार्यों सें संबंधित अन्य वार्ता हुई तथा सरपंच ने सेक्रेट्री को आवाज भी दी लेकिन वो अन्य काम में व्यस्त होने के कारण नहीं आया तथा कुछ देर बाद यह कहकर पंचायत भवन से निकल गया कि उसको पौधारोपण में जाना हैं वापस आकर बात करता हैं, इसके बाद सरपंच भी कुछ समय बाद यह कहकर चला गया कि सेक्रेट्री जी को आने दो मैं अभी वापस आता हूं। इसके बाद मैं वंहा सें निकलकर आपके पास आया हूं, अब सेक्रेट्री के वापस आने पर बात होगी। इस पर कुछ समय तक हम दोनों ने दीगोद कस्बे में ही गोपनीय स्थान पर सेक्रेट्री के पंचायत में आने का इन्तजार किया तथा करीबन आधा घण्टा बाद परिवादी फिर सें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को ऑन कर ग्राम पंचायत कि लिए रवाना हुआ। करीबन 1 घण्टे बाद वापस आकर परिवादी ने रिकॉर्डर बन्द कर मुझे बताया कि- मैं यंहा सें रवाना होकर ग्राम पंचायत में पहुंचा जंहा सरपंच व सैक्रेट्री पंचायत भवन में उपस्थित मिले। सैक्रेट्री कुछ लोगों के साथ बैठकर काम कर रहा था सरपंच ने एक दो बार उसको आने के लिए कहा तो उसने कुछ समय बाद आने के लिए कहा, इसके कुछ समय बाद सरपंच किसी काम से पंचायत सें बाहर ये कहकर चला गया कि अभी थोडी देर मे वापस आता हूं। चूंकि मेरी सैक्रेट्री वेदप्रकाश सें सरपंच के आने के बाद ही वार्ता होनी थी इसलिए मैं भी पंचायत सें रवाना होकर आपके पीछे-पीछे यंहा पर आ गया। इसके करीबन आधा घण्टा बाद फिर सें परिवादी रिकॉर्डर ऑन कर पंचायत भवन के लिए रवाना हुआ मैं भी उसके पीछे-पीछे रवाना हुआ तथा पंचायत भवन के आस-पास उपस्थित रहा इसके करीबन आधा घण्टा बाद परिवादी ने आकर बताया कि मैं पंचायत भवन में पहुंचा तो वंहा सें सैक्रेट्री जा चुका था तथा सरपंच भी कुछ समय बाद वंहा आया तथा उसने कहा कि सैक्रेट्री जी अपने घर चले गये हैं अब तो कल ही आना कल बात करेंगें। इसके बाद मै वंहा सें रवाना होकर आपके पास आ गया। परिवादी के कहेनुसार अब आरोपीगणों सें वार्ता आज नहीं हो सकती इसलिए परिवादी के आवश्यक कार्य होने से उससें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्राप्त कर मैं यंहा आया हूं । मन पुलिस निरीक्षक ने श्री नरेन्द्र सिंह कानि. से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर उसको चलाकर सुना गया तो नरेन्द्र सिंह को परिवादी द्वारा कहे गये कथनों की ताईद हुई हैं। श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि को हिदायत की गई कि जब भी परिवादी का फोन आए तो आप पुनः डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर परिवादी के पास सत्यापन हेतु चले जाना । इसके उपरान्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमौरी कार्ड की फर्द प्राप्ती डीवीआर पृथक सें बनाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द प्राप्ती डीवीआर को शामिल फाईल की गई। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। दिनांक 17.06.2025 समय 11.05 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक को श्री नरेन्द्र सिंह हैड. कानि. ने बताया कि सर मेरे मोबाईल पर रामलक्ष्मण जी का फोन आया हैं तथा उन्होने रिकॉर्डर लेकर मुझे दीगोद बुलाया हैं। इस पर श्री नरेन्द्र सिंह कानि. को मालखाने सें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के निकालकर सुपुर्द कर रवाना किया। समय 2.00 पी.एम. पर श्री नरेन्द्र सिंह हैड. कानि. ने कार्यालय में उपस्थित होकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं यंहा सें रवाना होकर परिवादी श्री रामलक्ष्मण जी सें जाकर दीगोद में मिला था रामलक्षमण ने मुझे बताया कि अभी सरपंच व सैक्रेट्री पंचायत में नहीं आये हैं। इस पर कुछ समय तक आरोपीगणों के पंचायत में आने का इन्तजार किया। रामलक्ष्मण जी ने सरपंच को फोन किया तो सरपंच ने फोन नहीं उठाया। परिवादी व मैने वहीं पर कुछ समय इन्तजार किया तथा कुछ समय बाद रामलक्ष्मण जी ने बताया कि अभी मेरे परीचित सें मेरी बात हुई हैं आज सरपंच व सैक्रेट्री जिला परिषद सुल्तानपुर में मिटींग होने के कारण सुल्तानपुर गये हुये हैं इसलिए आज उनसें बात नहीं हो सकती। इस पर मैं डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के दीगोद सें रवाना होकर वापस चौकी कोटा आया हूँ। आरोपीगणों के पंचायत में उपस्थित नहीं होने सें परिवादी की उनसे आज वार्ता नहीं हो पाई हैं। अतः परिवादी के पुनः कॉल करने पर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर ले जाने हेतु श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. को हिदायत की गई तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को सुरक्षित मालखाने मे रखवाया गया। दिनांक 18.06.2025 समय 11.00 ए.एम. पर श्री नरेन्द्र सिंह हैड. कानि. ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैने परिवादी श्री रामलक्ष्मण को कॉल किया तो परिवादी ने बताया कि मैं आरोपीगणों की उपस्थिती बाबत तलाश करके आपको बताता हूं, इसके पश्चात करीबन 12.05 पी.एम. पर परिवादी का कॉल श्री नरेन्द्र सिंह के मोबाईल पर आया व उसने श्री नरेन्द्र कानि को बताया कि मैने सरपंच को कॉल करके पूछा तो उसने बताया है कि मेरे कोई बीमार हो गया था जिसके चक्कर में मैं आज कोटा आ गया हूं मैं वापस आने पर तुमको कॉल करके बुलाता हूं। दिनांक 19.06.2025 समय 12.30 पी.एम. पर श्री नरेन्द्र सिंह हैड. कानि. ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया

कि मैने परिवादी श्री रामलक्ष्मण को कॉल किया तो परिवादी ने बताया कि पंचायत में टेण्डर की कार्यवाही होने वाली हैं अतः अब में सरपंच व सैकेट्री से टेण्डर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही बात करूंगा। जिस दिन मुझे उनसें बात करनी होगी मैं आपको फोन करके बता दूंगा। दिनांक 01.07.2025 समय 1.30 पी.एम. पर श्री नरेन्द्र सिंह हैड. कानि. ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि मेरे पास अभी परिवादी श्री रामलक्ष्मण का कॉल आया हैं तथा उसने बताया हैं कि टेण्डर की प्रक्रिया कल ही पूरी हो चुकी हैं तथा आज सरपंच एवं सैकेट्री मुझे ग्राम पंचायत में ही मिल जायेंगे आप रिकॉर्डर लेकर आ जाओ इस पर श्री नरेन्द्र सिंह कानि. को मालखाने सें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के निकालकर सुपुर्द किया तथा पृथक सें फर्द सुपुर्दगी बनाकर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जिसे शामिल फाईल किया जावेगा, तत्पश्चात श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. 140 मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी से जाकर दीगोद में मिलने एंव बाद सत्यापन स्थिति से अवगत कराने की हिदायत कर उसके स्वंय के वाहन से रवाना किया। समय 5.00 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक को श्री नरेन्द्र सिंह हैड. कानि. ने कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्ड मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर बताया कि मैं यंहा सें स्वंय के वाहन से रवाना होकर दीगोद पहुंच गया था वंहा पर मै रामलक्ष्मण जी सें मोबाईल पर वार्ता कर मिला तथा उनको डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के रिकॉर्डर को चालु कर सुपुर्द किया तथा ग्राम पंचायत दीगोद में सरंपच व सेक्रेट्री सें वार्ता कर वार्ता को रिकॉर्ड कर लाने के लिए रवाना किया तथा मैं भी रामलक्ष्मण जी के पीछे-पीछे ग्राम पंचायत के सामने मेनरोड पर पहुंचा तथा अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी का इन्तजार करने लगा कुछ समय बाद परिवादी मेरे पास आया तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसको मैने बन्द किया तथा परिवादी सें पूछा तो परिवादी ने बताया कि मैं पंचायत में गया तो वंहा पर सरपंच नहीं था तथा सैकेट्री वंही था किन्तु वह बिना सरपंच के रहते मुझसें बात नहीं करता हैं, इसलिए मैं थोडी देर में वापस जाऊंगा इस पर परिवादी को हमराह लेकर पंचायत सें कुछ दूर आ गये तथा कुछ समय इन्तजार करने के बाद फिर सें डिजीटल वॉयस रिकॉर्ड चालु करवाकर परिवादी को पुनः पंचायत के लिए रवाना किया तथा मैं भी परिवादी के पीछे रवाना होकर पंचायत भवन के आसपास मुकिम रहा परिवादी कुछ समय बाद पंचायत भवन सें बाहर आया तथा दीगोद बाजार में मोटरसाईकिल सर्विस सेंटर निमोदा रोड पर आकर रूका मैं भी उसके पीछे-पीछे आया तथा थोडी दूर सें उसको देख रहा था परिवादी ने एक व्यक्ति सें बात की तथा कुछ समय बाद मुझे कॉल करके मेरे बताये स्थान पर आकर मुझे मिला तथा रिकॉर्डर बन्द कर मुझे बताया कि मेरी सरपंच सें बात हो गई हैं। मैं पंचायत में गया तो मुझे देखते ही सैकेट्री अपना बेग लेकर पंचायत सें रवाना हो गया जिसके बाद मैं योगेन्द्र के मोटरसाईकिल सर्विस सेंटर पर आया जंहा पर सरपंच से मैने कहा कि सैकेट्री जी मुझे देखते ही भाग क्यों जाते हैं इस पर सरपंच ने किसी को फोन करके सैकेट्री के लिए पूछा तो उसको पंचायत से जाना बताया इस पर सरंपच ने कहा कि सैकेट्री जी तुमसे घबराते हैं वो तुमसें बात नहीं करेगा, इसके बाद मेरे पूछने पर सरंपच ने कहा कि उनके तो रहने दे पहले का तो कोई नहीं वो बालाजी की बगीची का पच्चीस हजार रूपये मेरे दे देना तुमको जे.ई.एन. सें मिलवा दूंगा वो तुम्हारा बिल बढा देगा। इसके बाद परिवादी ने आवश्यक कार्य होने सें कार्यालय में आने में असमर्थता जाहिर की तथा कहा कि सैकेट्री मुझसे बात नहीं करता हैं तथा मुझसे डरता हैं सरपंच ने भी सैकेट्री से बात करवाने के लिए मना कर दिया हैं उसने मुझे जे.ई.एन. से मिलवाकर मेरा बिल बढाने के लिए कहा हैं, अतः सरंपच को रिश्वत मे देने वाली राशि 25000 रू. की व्यवस्था होने पर मैं आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाऊंगा, जिस पर मै परिवादी को दीगोद छोडकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के यंहा आया हूं। श्री नरेन्द्र सिंह कानि. से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर उसको चलाकर सुना गया तो नरेन्द्र सिंह को परिवादी द्वारा कहे गये कथनों की ताईद हुई हैं। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमौरी कार्ड की फर्द प्राप्ती डीवीआर पृथक सें बनाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द प्राप्ती डीवीआर को शामिल फाईल किया। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी ने रिश्वत मे दी जाने वाली रकम की व्यवस्था होते ही बताकर कार्यालय आने की कहने से कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान लाने हेतु एक तहरीर कार्यालय, तहसीलदार तहसील लाडपुरा, कोटा के नाम जारी कर दो स्वतंत्र गवाह साथ लाने हेतु समय 5.30 पी.एम पर श्री योगेश गोचर कानि. 291 को मय तहरीर रवाना किया गया। समय 6.00 पी.एम.श्री योगेश गोचर कानि. 291 मय तहसीलदार लाडपुरा कोटा के पत्र क्रमांक 897 दिनांक 01.07.2025 के वापस आया जिस पर गवाह श्री नरेन्द्र सिंह कोटिया कनिष्ठ सहायक, कार्यालय तहसीलदार तहसील लाडपुरा कोटा तथा श्री मुकेश चांवला सूचना सहायक तहसील लाडपुरा कोटा, के नाम अंकित थे। श्री योगेश कानि ने बताया कि श्रीमान तहसीलदार ने उक्त दोनों गवाहान को नोमीनेट कर मुझे मिलवा दिया था जिनको मैने आपके निर्देशानुसार दिनांक 03.07.2025 को एसीबी कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर दिया है। दिनांक 03.07.2025 समय 10.30 ए.एम. पर परिवादी श्री रामलक्ष्मण राठौर ने जरिये मोबाईल मन पुलिस निरीक्षक को अवगत कराया कि मेरे पास रिश्वत में दी जाने वाली रकम की व्यवस्था हो गई हैं तथा मैं यंहा सें रवाना हो रहा हूं। चूंकि परिवादी कार्यालय में आ रहा हैं तथा ट्रेप कार्यवाही की जानी हैं अतः स्वतंत्र गवाहान को कार्यालय में उपस्थित आने हेतु सूचित किया गया। समय 11.00 ए.एम. पर श्री नरेन्द्र सिंह कोटिया कनिष्ठ सहायक, कार्यालय तहसीलदार तहसील लाडपुरा कोटा तथा श्री मुकेश चांवडा, सूचना सहायक तहसील लाडपुरा कोटा तलबशुदा कार्यालय भ्र.नि.ब्यूरे कोटा में उपस्थित आये। गवाहान से मन पुलिस निरीक्षक ने उनके नाम पते पूछे तो उन्होंने श्री नरेन्द्र सिंह कोटिया पुत्र श्री गोपीचंद कोटिया जाति कोली उम्र 33 साल निवासी-मकान

नम्बर 571, देवनारायण मंदिर की गली, बापू नगर बालिता रोड कुन्हाडी कोटा हाल ए-3, टाईप 4 सी.ए.डी. कोलोनी दादाबाडी कोटा हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय तहसीलदार तहसील लाडपुरा कोटा मोबाईल नम्बर-6461682021 तथा श्री मुकेश चांवला पुत्र श्री बंशीलाल चावडा जाति बंजारा उम्र 42 साल निवासी- मकान नम्बर एस.ई. 12 महावीर नगर विस्तार योजना सुभाष सर्किल कोटा हाल सूचना सहायक तहसील लाडपुरा कोटा, मोबाईल नम्बर-9782142561 बताया। गवाहान के उपस्थित आने के थोडी देर पश्चात परिवादी श्री रामलक्ष्मण एंव उसका सहयोगी श्री मनोज कार्यालय में उपस्थित आये। परिवादी श्री रामलक्ष्मण से स्वतंत्र गवाहान श्री नरेन्द्र कोटिया व श्री मुकेश चांवडा से आपसी परिचय करवाया तथा अब तक की गई कार्यवाही व होने वाली कार्यवाही सें अवगत कराया जाकर ट्रेप कार्यवाही में साथ रहने की अनुमति चाही तो उन्होने सहमति दी, जिस पर दोनों गवाहान सें परिवादी के प्रार्थना पत्र को पढवाया गया तथा प्रार्थना पत्र पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। समय 11.45 ए.एम. पर परिवादी श्री रामलक्ष्मण ने आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 50 नोट कुल पच्चीस हजार रूपये दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री नरेन्द्र सिंह कोटिया० व श्री मुकेश चांवडा के समक्ष अपने पास से निकालकर मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये। परिवादी द्वारा पेश किये गये नोटों का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र. सं. नोटों का विवरण नोटों के नम्बर

1. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 4EE942897
2. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5CW767270
3. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1VQ352924
4. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3HN452321
5. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2TL181235
6. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9RF085628
7. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 6GK531387
8. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8DS655204
9. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3TF184800
10. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 4LT014014
11. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5QR859881
12. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3LB853000
13. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1BB458541
14. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9ET923383
15. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 4HG578231
16. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5QM781173
17. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 6PV593355
18. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 6FE086573
19. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3BS980896
20. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3BS980897
21. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 6AU068745
22. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0BD344794
23. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5AS406839
24. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 6LB103246
25. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5SA238251
26. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9EC511387
27. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9DC791647
28. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9DC791651
29. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7UF187197
30. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5PR753318
31. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8EH936320
32. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8WC294439
33. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0DC062002
34. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 6CP088703
35. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0LP903799

36. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8FV007560
37. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8PF632756
38. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5GV265741
39. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7KP662945
40. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9FU259067
41. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7FT992278
42. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 4AU792373
43. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5GT870501
44. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5PE345196
45. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5FF515471
46. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3TP338995
47. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1VL689067
48. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7UQ790715
49. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1SD328682
50. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9CQ505783

श्री अब्दुल सत्तार कानि. नं. 158 से मालखाने से फिनोंफ्थलीन पावडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटों को एक अखबार के ऊपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोफथलीन पावडर लगवाया गया। परिवादी श्री रामलक्ष्मण की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री नरेन्द्र सिंह कोटिया से लिवाई गई। परिवादी के पास उसके पहने हुए वस्त्रों एवं मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। आरोपी को रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये उक्त भारतीय मुद्रा के पांच- पांच सौ रूपये के पच्चास नोट कुल 25000 रूपये को परिवादी के पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब मे श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 से सीधे ही रखवाये गये।

इसके बाद एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी लिया जाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेंट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया, जिसे गवाहान् एवं परिवादी को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग रंगहीन होना बताया। उक्त रंगहीन घोल में श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 के हाथ की अंगुलियों को डालकर धुलवाया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया को गवाहान् एवं परिवादी को दृष्टांत देकर समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोंटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेंट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। डिस्पोजल गिलास के घोल को बाहर फिंकवाया गया। जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जानेवाली राशि/नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था एवं दृष्टांत में काम मे लिये गये डिस्पोजल गिलास को श्री अब्दुल सत्तार कानि 158 से जलवाया जाकर नष्ट करवाया गया। श्री अब्दुल सत्तार कानि 158 के हाथां एवं ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाली शीशीयां को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि उक्त नोटो को रास्ते में अनावष्यक रूप से नहीं छुयें एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिष्वत राशि निकालकर देवें। आरोपी से रिश्वत राशि व स्वयं के कार्य के संबंध मे स्पष्ट वार्ता करे तथा रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करे। दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी समझाया की रिश्वत के लेनदेन को यथासंभव निकट रहकर देखने व सुनने का प्रयास करें। परिवादी श्री रामलक्ष्मण को डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के दिया जाकर चालू व बंद करने का तरीका पुनः समझाया जाकर हिदायत दी कि वक्त रिश्वत लेनदेन उसके एवं आरोपी के मध्य होने वाली वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करे। श्री अब्दुल सत्तार कानि 158 को कार्यालय हाजा में ही रहने की हिदायत दी गई। फर्द पेशकशी नियमानुसार मुर्तिब की जाकर गवाहान् व परिवादी को पढ़कर सुनाई, सुन समझ सही मान सम्बन्धितों ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 12.45 पी.एम. पर परिवादी श्री रामलक्ष्मण को दीगोद सरकारी फार्म के गेट के पास रूकने की हिदायत कर उसकी मोटरसाईकिल से उसके सहयोगी मनोज के साथ आगे-आगे रवाना किया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री नरेन्द्र सिंह कोटिया एवं श्री मुकेश चावंडा तथा श्री आशिक हुसैन स.उ.नि., श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. 140, श्री अभिषेक कानि. नं. 197, श्री योगेश गोचर कानि. नं. 291, श्री मनोज कानि. 211, श्री रवि यादव कानि. 285 मय जाब्ता के सरकारी वाहन मय चालक श्री तवंर सिंह कानि ड्राईवर नं. 506 व प्राईवेट वाहन सें दीगोद क लिए रवाना हुये। समय 01.55 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय जाब्ता मय सरकारी एवं प्राइवेट वाहन से दीगोद सरकारी फार्म के गेट के पास पहुचें जंहा परिवादी श्री रामलक्ष्मण एंव उसका सहयोगी मोटरसाईकिल सहित खडे हुये मिले, परिवादी से वार्ता कर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु करवाकर परिवादी व उसके सहयोगी को ग्राम पंचायत दिगोद के लिए रवाना किया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय जाब्ता के ग्राम पंचायत दीगोद के लिए रवाना होकर गा्रम पंचायत दीगोद के पास जीएसएस कार्यालय के पास पहुंचे कुछ समय बाद परिवादी ग्राम पंचातय कार्यालय से बाहर आया तथा मन पुलिस निरीक्षक के पास आकर डिजिटल वॉईस रिकार्डर बंद कर मन पुलिस निरीक्षक को सौंपा एवं बताया कि मैं आपके पास से रवाना हुआ तथा

पंचायत के कुछ दूर पहले ही मैने मेरे सहयोगी मनोज को मोटरसाईकिल सें उतार दिया तथा मैं अकेला ही पंचायत भवन में गया, वंहा पर सरपंच नहीं हैं तथा मैने उसको फोन किया तो उसका फोन भी स्वीच ऑफ आ रहा हैं अतः उसके ग्राम पंचायत में आने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही हो पायेगी मैं सरंपच के आने पर आपको सूचित कर दूंगा इतनी देर मैं घर पर ही रूकता हूं, चुंकि परिवादी का घर पचांयत सें कुछ ही दूर हैं तथा आरोपी के आने के बाद ही परिवादी सूचित करने के पश्चात परिवादी को पुनः आरोपी के पास भेजा जायेगा, इसलिए परिवादी की जेब में रखे हुये रिष्वत मे दी जाने वाली राषी को स्वतंत्र गवाह श्री नरेन्द्र सिह कोटिया सें निकलवाकर उसके पास सुरक्षित रखवाये गये तथा परिवादी को हिदायत की गई कि आरोपी के पंचायत में आने के बाद सूचित कर पहले बताये स्थान पर आने की हिदायत कर परिवादी को उसके घर के लिए रवाना किया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय जाब्ता सरकारी व प्राईवेट वाहन से रवाना होकर दीगोद कस्बे से रवाना होकर दांयी मुख्य नहर देवपुरा के पास पहुचें तथा परिवादी के कॉल का इन्तजार किया। समय 4.45 पी.एम. पर परिवादी श्री रामलक्ष्मण ने श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. के मोबाईल पर कॉल कर बताया कि सैकेट्री ग्राम पंचायत को बन्द करके चला गया हैं तथा सरपंच ने भी अभी तक फोन को ऑन नहीं किया हैं, अतः अब सरपंच के कल गा्रम पंचायत में आने पर ही कार्यवाही हो पायेगी। चूंकि परिवादी ने कार्यवाही कल होने की संभावना जताई हैं, अतः मन पुलिस निरीक्षक ने हालात श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक को निवेदन किये तथा करीबन 5.30 पी.एम. पर मय जाब्ता के नहर के पास से कोटा के लिए रवाना हुये। समय 7.00 पी.एम. पर पु. नि. मय स्वतंत्र गवाहान श्री नरेन्द्र सिंह कोटिया एवं श्री मुकेश चावंडा तथा श्री आशिक हुसैन स.उ.नि., श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. 140, श्री अभिषेक कानि. नं. 197, श्री योगेश गोचर कानि. नं. 291, श्री मनोज कानि. 211, श्री रवि यादव कानि. 285 मय जाब्ता के सरकारी वाहन मय चालक श्री तवंर सिंह कानि ड्राईवर नं. 506 व प्राईवेट वाहन से भ्रनिब्यूरो चौकी कोटा पहुंचे तथा स्वतंत्र गवाहान से रिश्वती राशि एक लिफाफे में रखवाकर एक मालखाने मे सुरक्षित रखवाई गई तथा कल दिनांक 04.07.2025 को समय 9.00 ए.एम. पर कार्यालय में आने की हिदायत कर रवाना किया तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणो को मालखाने मे सुरक्षित रखवाकर समस्त जाब्ते को कार्यालय हाजा में प्रातः 9.00 ए.एम पर उपस्थित आने हेतु हिदायत की गई। दिनांक 04.07.2025 समय 09.30 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री नरेन्द्र सिंह कोटिया एवं श्री मुकेश चावंडा एवं एसीबी जाप्ता कार्यालय हाजा उपस्थित आए। समय 09.50 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी रामलक्ष्मण से जर्ये मोबाईल सम्पर्क कर परिवादी से आरोपी संरपंच के बारे में पूछा तो उसने बताया कि आरोपी संरपंच पंचायत में आ गया है। आज वह मुझसे रिश्वत राशि ले लेगा आप आ जाओ मै आपको दीगोद सरकारी फार्म के गेट के पास मिल जाउंगा। समय 10.00 ए.एम. पर कार्यालय के मालखाने से रिश्वत राशि 25000 रूपये का लिफाफा निकलवाय जाकर गवाह श्री नरेन्द्र सिहं कोटिया के पास सुरक्षित रखवाया जाकर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री नरेन्द्र सिंह कोटिया व श्री मुकेश चावंडा तथा श्री आषिक हुसैन स.उ.नि., श्री योगेन्द्र कानि0 282, श्री अभिषेक कानि.197, श्री योगेश गोचर कानि. 291, श्री मनोज कानि. 211, श्री रवि यादव कानि. 285, मय जाब्ता के सरकारी वाहन मय चालक श्री तवंर सिंह कानि ड्राईवर 506 व प्राईवेट वाहन सें मय डीवीआर, रिश्वत राशि का लिफाफा, ट्रेपबॉक्स व अन्य आवष्यक सामग्री के कस्बा दीगोद के लिए रवाना हुये। समय 10.50 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय जाब्ता मय सरकारी एवं प्राइवेट वाहन से दीगोद सरकारी फार्म के गेट के पास पहुचें। समय 10.59 ए.एम. दीगोद सरकारी फार्म के गेट के पास परिवादी श्री रामलक्ष्मण स्वयं की मोटरसाईकिल से उपस्थित आया। मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से वार्ता कर स्वतंत्र गवाह श्री नरेन्द्र सिहं कोटिया के पास सुरक्षित रखी रिश्वत राशि 25000 रूपये को लिफाफे में से निकलवाकर स्वतंत्र गवाह श्री नरेन्द्र कोटिया से परिवादी रामलक्ष्मण के पेन्ट की बांयी जेब में रखवाकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालु करवाकर परिवादी रामलक्ष्मण की पेन्ट की सामने की बायी जेब में रखकर श्री मनोज कानि0 211 को निगरानी हेतु परिवादी के साथ उसकी मोटरसाईकिज से ग्राम पंचायत दीगोद के लिए रवाना किया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय टीम पीछे पीछे साथ लाये वाहनो से ग्राम पंचायत दीगोद के लिए रवाना होकर गा्रम पंचायत दीगोद के पास पहुचकर परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुए समय 11.13 ए.एम. पर परिवादी श्री रामलक्ष्मण ने बिना कोई ईशारा किये बंदशुदा डीवीआर के मन पुलिस निरीक्षक के पास आकर बताया कि मैं आपके पास से रवाना हुआ तथा पंचायत के कुछ दूर पहले ही मैने मनोज कानि0 को उतार दिया था तथा मैं अकेला ही पंचायत भवन में गया, वंहा पर सरपंच साहब मिले जिनसे रिश्वत लेन देन संबधि वार्ता की तो उन्होने रिश्वत राशि लेने से इन्कार कर दिया तथा वहा बैठे अन्य व्यक्तियो से बात करने लग गया। कुछ देर बाद मेरे से मेरे काम के संबंध में बात कर बिना रिश्वत राशि लिये मुझे वहा से भेज दिया। मैने ग्राम पंचायत भवन दीगोद के बाहर आकर डीवीआर बन्द कर लिया और आपके पास आ गया। मन पुलिस निरीक्षक ने डीवीआर मे रिकॉर्डेड वार्ता को चालु कर सुना तो परिवादी द्वारा किये गये कथन की पुष्टि होती है। इस पर परिवादी के पास रखी रिश्वत राशि को गवाह श्री नरेन्द्र सिहं कोटिया से निकलवाकर एक कागज के लिफाफे मे रखकर गवाह नरेन्द्र सिहं कोटिया के पास सुरक्षित रखे। समय 11.55 ए.एम. पर परिवादी श्री रामलक्ष्मण को गोपनीयता की मुनासिब हिदायद कर मौके से सकुशल रूखसत कर् मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय हमराही जाप्ता व सरकारी व प्राईवेट वाहनो से मय डीवीआर मय रिश्वत राशि का लिफाफे के मय आवश्यक सामग्री एसीबी कार्यालय कोटा के लिए रवाना हुआ। समय 12.45 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र

गवाहान श्री नरेन्द्र सिंह कोटिया एवं श्री मुकेश चावंडा तथा श्री आशिक हुसैन स.उ.नि., श्री योगेन्द्र सिंह कानि. 282, श्री अभिषेक कानि. 197, श्री योगेश गोचर कानि. 291, श्री मनोज कानि. 211, श्री रवि यादव कानि. 285 मय जाब्ता के सरकारी वाहन मय चालक श्री तवंर सिंह कानि ड्राईवर 506 व प्राईवेट वाहन से भ्रनिब्यूरो चौकी कोटा पहुंचे तथा स्वतंत्र गवाहान से रिश्वत राशि के लिफाफे को मालखाने मे सुरक्षित रखवाया जाकर ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणो व डीवीआर को भी मालखाने मे सुरक्षित रखा गया तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री नरेन्द्र सिंह कोटिया व मुकेश चावडा को मुनासिब हिदायत कर उनके गतव्य पर रूखसत किया गया। दिनांक 21.07.2025 समय 10.13 एएम पर परिवादी श्री रामलक्ष्मण ने जर्ये कॉल बताया कि सरपंच से मैंने एक दो बार सामान्य बात करने की कौशिश की थी परन्तु वह मेरे से बात नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे एसीबी की शिकायत के बारे में पता चला गया हे। मै उससे अच्छा व्यवहार कर वास्तविकता का पता लगाने की कौशिश करूंगा। यदि वह रिश्वत राशि मांगेगा तो मैं आपको फोन कर दूंगा। आप टीम लेकर आ जाना। दिनांक 13.08.2025 समय 11.एएम पर परिवादी श्री रामलक्ष्मण ने जर्ये कॉल बताया कि सरपंच मुझ से बिल्कुल ही बात नहीं कर रहा है। उसे शक हो गया है अब वह मेरे से रिश्वत नहीं लेगा। परन्तु मैं मेरे घरेलू कार्यं् में व्यस्त हू। समय मिलते ही मैं आगे की कार्यवाही के लिए आपके पास आ जाउंगा। दिनांक 18.09.2025 समय 12.05 पी.एम. पर परिवादी श्री रामलक्ष्मण राठौर तथा स्वतंत्र गवाहान श्री नरेन्द्र कोटिया एवं श्री मुकेश चावला कार्यालय हाजा में तलबशुदा उपस्थित हुए। समय 12.10 ए.एम. पर परिवादी श्री रामलक्ष्मण ने स्वतंत्र गवाहान श्री नरेन्द्र कोटिया एवं श्री मुकेश चावला के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक को एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि आरोपी को मुझ पर शक हो गया है इसलिए अब दीगोद ग्राम पंचायत के सरपंच कपिल मीणा द्वारा मेरे से रिश्वत लेने की कोई सम्भावना नहीं है। वह मेरे से रिश्वत राशि ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए मेरे द्वारा रिश्वत में दी जाने वाली राशि 25000 रूपये की राशि लौटाने की कृपा करे। अतः मालखाना प्रभारी श्री आशिक हुसैन सउनि से मालखाने में रखे डिजिटल वॉईस रिकार्डर मय वक्त रिश्वत मांग सत्यापन एवं रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता में प्रयोग में लिये गए मैमोरी कार्ड को निकलवाया गया। समय 12.30 पी.एम. पर परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो परिवादी व आरोपी कपिल मीणा, सरपंच, दीगोद ग्राम पंचायत, कोटा के मध्य 16.06.2025 को हुई थी। उसके मैमोरी कार्ड सहित डिजिटल वॉईस रिकार्डर को कार्यालय के लेपटॉप में श्री योगेश गोचर कानि. 291 के द्वारा कनेक्ट कर स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाया, उक्त रिकॉर्ड वार्ता मे से परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज कपिल मीणा, सरपंच, दीगोद ग्राम पंचायत, कोटा की होना पहचान कर बताया। उक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री योगेश गोचर कानि. 291 द्वारा हुबहू नियमानुसार तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 01.00 पी.एम. समय पर परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय जो परिवादी व कपिल मीणा, सरपंच, दीगोद ग्राम पंचायत, कोटा के मध्य 01.07.2025 को हुई थी। उसके मैमोरी कार्ड सहित डिजिटल वॉईस रिकार्डर को कार्यालय के लेपटॉप में श्री योगेश गोचर कानि. 291 के द्वारा कनेक्ट कर स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाया, उक्त रिकॉर्ड वार्ता मे से परिवादी ने एक आवाज अपनी स्वयं की तथा दूसरी आवाज सरपंच कपिल मीणा की होना पहचान कर बताया। उक्त वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट मन पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री योगेश गोचर कानि. 291 द्वारा हुबहू नियमानुसार तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 01.30 पी.एम. पर परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता जो परिवादी व कपिल मीणा, सरपंच, दीगोद ग्राम पंचायत, कोटा कोटा के मध्य 04.07.2025 को हुई थी। उसके मैमोरी कार्ड सहित डिजिटल वॉईस रिकार्डर को कार्यालय के लेपटॉप में श्री योगेश गोचर कानि. 291 के द्वारा कनेक्ट कर स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाया, उक्त रिकॉर्ड वार्ता मे से परिवादी ने एक आवाज अपनी स्वयं की तथा दूसरी आवाज सरपंच कपिल मीणा की होना पहचान कर बताया। उक्त वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट मन पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री योगेश गोचर कानि. 291 द्वारा हुबहू नियमानुसार तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 04.00 पी.एम. पर परिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 16.06.2025 को परिवादी रामलक्ष्मण राठौर व आरोपी कपिल मीणा सरपंच दीगोद, जिला कोटा के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की फाईल 250616_1302 तथा दिनांक 01.07.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय की फाईल 250701_1511 जो प्रथम मैमौरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 में रिकार्ड की गई हैं तथा दिनांक 04.07.2025 को वक्त रिश्वत लेन-देन प्रयास हुई वार्ता की फाईल 250704_1059 जो द्वितीय मैमौरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 में रिकार्ड की गई हैं। उक्त वार्ताओं के अलावा प्रथम कार्ड में दिनांक 16.06.25 को 250616_1426 व o 250616_1552 तथा दिनांक 01.07.25 को 250701_1454 फाईल भी रिकार्ड हुई है जिनमें असंबंधित वार्ताए है। द्वितीय कार्ड में दिनांक 03.07.25 को 250703_1400 फाईल भी रिकार्ड हुई है जिसमें असंबंधित वार्ताए है। उक्त वार्ताओं की 7 फाईलों की हैश वेल्यू निकालकर उसके प्रिन्ट आउट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल फाईल की गई तथा श्री योगेश कानि0 291 के द्वारा उपरोक्त दोनों मैमोरी कार्ड से सातों रिकार्डिंग की फाईलों को लेपटोप में लिवाया जाकर कॉपी पेस्ट

कर Sandisk cruzer blade 32 GB के चार पेन ड्राईव में लेकर पेन ड्राईव तैयार करवाये गये, जिसमे से एक पेनड्राईव माननीय न्यायालय के लिये, एक पेनड्राईव नमूना आवाज के लिये व एक पेनड्राईव आरोपी के लिये पृथक-पृथक कपडे की थैली मे रखकर सील्ड मोहर की गई तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय एवं रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता के दोनों मूल मेमोरी कार्ड उनके कवर में रखकर, मेमोरी कार्ड को कवर सहित कपडे की थैलियों में रखा जाकर पृथक-पृथक सील्ड मोहर कर सभी सील्ड मोहर थैलियों पर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये तथा एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये लिफाफे मे अनसील्ड रखकर शामिल पत्रावली किया गया । फर्द डबिंग व जब्ती पेन ड्राईव एवं मेमोरी कार्ड पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधित से हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। शील्डशुदा पैकेट के मालखाना प्रभारी आशिक हुसैन सउनि से मालखाना में जमा करवाया गया। समय 07.00 पी. एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी रामलक्ष्मण राठौर द्वारा आरोपी श्री कपिल मीणा संरपंच दीगोद जिला कोटा को रिश्वत में दिये जाने हेतु दी गई राशि पांच-पांच सौ रूपये के पचास नोट कुल 25,000 रू. दिनांक 03.07.2025 को मन पुलिस निरीक्षक को पेश की गई थी, आरोपी संरपंच को परिवादी पर शक हो जाने के कारण रिश्वत राशि आरोपी ने प्राप्त नहीं की । जिससे ट्रेप कार्यवाही नहीं हो सकी। आरोपी को शक होने के कारण ट्रेप कार्यवाही नही होने से परिवादी रामलक्ष्मण द्वारा आज दिनांक 18.09.2025 को उसके द्वारा पूर्व मे दिनांक 03.07.2025 को पेश रिश्वत में दिये जाने वाली राशि पच्चीस हजार को वापस लौटाये जाने बाबत श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो कोटा को संबोधित प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। अतः परिवादी द्वारा पूर्व में पेश रिश्वती राशि पांच-पांच रू. के पचास नोट कुल 25 हजार रू. मालखाने सें निकलवाकर उनपर लगे हुए फनोफथलीन पाउडर को अच्छी तरह साफ करके नियमानुसार परिवादी श्री रामलक्ष्मण राठौर पुत्र श्री रामस्वरूप जाति तेली उम्र 44 को आज दिनांक 18.09.2025 को सुपुर्द किये गए। फर्द सुपुर्दगी पर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई। समय 07.10 पी.एम. पर परिवादी श्री रामलक्ष्मण राठौर को मय लौटाई गई राशि 25000 रूपये के तथा स्वतंत्र गवाहान श्री मुकेश चावडा व श्री नरेन्द्र सिंह कोटिया को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी कोटा से सकुशल रूखसत किया गया।

सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया है कि परिवादी रामलक्ष्मण राठौर ने ग्राम पंचायत दीगोद में बालाजी की बगीची पर जानवरों के पानी पीने के लिए खेल एवं रामलाल मेघवाल के पास देवपुरा रोड पर पुलिया निर्माण कार्य करवाने के लिए उसके परिचित श्री रामस्वरूप महावर निवासी दीगोद की फर्म सतीश एन्टर प्राईजेज दीगोद के नाम टेण्डर आदेश लिया था। श्री रामस्वरूप महावर एवं परिवादी ने उक्त कार्या को मिल कर करने के लिए एक शपथ पत्र सहमती पत्र लिख लिया था। निर्माण कार्य परिवादी ने पूर्ण कर ग्राम पंचायत दीगोद में उपरोक्त कार्यो के बिल पेश किये जिसमें सें पानी की खेल का पेमेंट 196000 रू. पास कर दिया तथा पुलिया निर्माण कार्य के बिल में सें 150000 रू. का बिल पास किया । बिल की शेष राशि सरंपच ने रोक दी तथा शेष राशि पास करने की एवज में परिवादी से कमिशन के रूप में 50,000 रू. की मांग की। परिवादी ने परेशान होकर कपिल मीणा सरपंच ग्राम पंचायत दीगोद जिला कोटा तथा ग्राम सचिव वेदप्रकाश राठौर को रिश्वत लेते हुए पकडवाने के लिए एसीबी चौकी कोटा में दिनांक 12.06.2025 को उपस्थित होकर कार्यवाही हेतु रिपोर्ट पेश की । जिस पर दिनांक 16.06.2025 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया। तो सत्यापन के दौरान परिवादी द्वारा आरोपी सरपंच से उसके कमीशन की राशि पूछी तो आरोपी कपिल मीणा सरपंच दीगोद ने कहा कि तुम्हे याद नही है कि कितने बन रहे है मैं तो उससे पुछूंगा कितने डालु कितने नही डालु, पच्चीस तो पहले के ही बच रहे है वो तो अभी कर वो पच्चीस तो वो ही अभी आपका इस प्रकार आरोपी कपिल मीणा ने परिवादी से 25000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग की। इसके बाद दिनांक 01.07.2025 को पुनः रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया तो सत्यापन के दौरान परिवादी कहता है तो कितने तुम्हारे, जिस पर आरोपी कहता है पच्चीस ही है मेरे तो फिर परिवादी कहता है पच्चीस हजार देने है तुम्हारे तो, ठीक है ना जिसमें अपन फ्री है इस पर आरोपी कहता हे हा जो कुछ नही मांगु मै तुमसे इसके बाद परिवादी दिनांक 03.07.2025 को रिश्वत के रूप में मांगी गई राशि आरोपी को देने गया तो आरोपी ग्राम पंचायत में नहीं मिला एवं उसका मोबाईल भी स्विच ऑफ था। इसके बाद परिवादी दिनांक 04.07.2025 को रिश्वत के रूप में मांगी गई राशि आरोपी को देने गया तो कपिल मीणा ने परिवादी से रिश्वत राशि लेने से इन्कार कर दिया तथा परिवादी के काम के बारे में बात करके उसे रिश्वत राशि लिए बिना ही वापस रवाना कर दिया। जिससे आरोपी श्री कपिल मीणा पुत्र श्री रामावतार जाति मीणा उम्र 32 साल निवासी दीगोद हाल सरपंच, ग्राम पंचायत दीगोद, जिला कोटा के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध घटित होना पाया गया है।

अतः आरोपी श्री कपिल मीणा पुत्र श्री रामावतार जाति मीणा उम्र 32 साल निवासी दीगोद हाल सरपंच, ग्राम पंचायत दीगोद, जिला कोटा के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को वास्ते क्रमांकन सादर प्रेषित है। (देशराज) पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री देशराज पुलिस निरीक्षक ,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से आरोपी श्री कपिल मीणा पुत्र श्री रामावतार जाति मीणा उम्र 32 साल निवासी दीगोद हाल सरपंच, ग्राम पंचायत दीगोद,

जिला कोटा के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री पृथ्वीराज पुलिस निरीक्षक, एसयू, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 173 पर अंकित है।(पुष्पेन्द्र सिंह राठौड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर क्रमांक 1634-37 दिनांक 10/11/2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा 2- आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग जयपुर 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** PRATHVIRAJ MEENA **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 1[illegible]/1/2025

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1993				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)